अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः प.10( )चुनाव/जन/स्वा0शा0/2024/1935-1985 दिनांकः 10/07/2024

समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः बजट घोषणा वर्ष 2020–21, 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 द्वारा नवगठित नगरपालिकाओं के आम चुनाव हेतु नगरपालिका में वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर वार्ड की संख्या एवं परिसीमांकन के संबंध में।

प्रसंगः विभागीय पत्र क्रमांकप.10( )चुनाव/जन/स्वा0शा0/2024/1423–1700 दिनांक 07.06.2024 के क्रम में।

....

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 एवं 9 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवगठित नगरीय निकायों में जनसंख्या के आधार पर कुल वार्ड सं0 अंकित करते हुए विभागीय समसंख्यक पत्रांक 1423–1700 दिनांक 07/06/2024 के द्वारा वार्ड परिसीमांकन कार्य एवं वार्डो के आरक्षण पूर्ण कराये जाने की दृष्टि से कार्यक्रम दिनांक 11 जून 2024 से लेकर 26 अगस्त 2024 तक के लिए निर्धारित किया गया था। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत किए जाने वाले सभी कार्यो का कार्यक्रम प्रशासनिक एवं अपरिहार्य कारणों से आगामी आदेशो तक एतद्द्वारा स्थगित किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(सुरेश कुमार ओला)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः प.10( )चुनाव/जन/स्वा0शा0/2024/1986-2200 जयपुर, दिनांकः 10/7/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, उप शासन सचिव,/आयुक्त पंचायती राज. विभाग, जयपुर।
7. समस्त संभागीय आयुक्त राजस्थान।
8. निजी सचिव, जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी समस्त राज.।
9. समस्त संबंधिंत निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, संबंधित (नगरपालिका)।
10. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
11. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।
12. समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिकाओं को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यक्रम प्रशासनिक एवं अपरिहार्य कारणों से आगामी आदेशो तक एतद्द्वारा स्थगित किया जाता है।
13. जनसंपर्क अधिकारी, निदेशालय।
14. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. सुरक्षित पत्रावली।

(लेखराज जाग्रत)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी